

31-5-19

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी एवं वादी वकील
 अनुपस्थित हैं। पत्रावली में वादी एवं वादी वकील
 को तीन बार आवाज लगावाई गई फिर भी उपस्थित
 नहीं हुए। पत्रावली में आदेश 9 नियम 3 के तहत
 अदम हाजरी अदम पत्रावली में वादी खरीज किया
 जाता है किन्तु खुले न्यायालय में खुला प्रमाण
 पत्रावली केवल शुमार ही दर्ज नम्बर की लम्ब
 होकर दाखिल दस्तावेज है।

उपखण्ड अधिकारी
 खरवाडा जि. उदयपुर